न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02/2017

अपीलांट्स
1.केसाराम पुत्र प्रभुराम
2.कांकूदेवी पत्नि केसाराम
जाति भील निवासी परिहार
सेवा सदन की गली,नेहरू
कालोनी,बालोतरा

बनाम

रेस्पोडेंट्स
1.तहसीलदार,पचपदरा
2.बुधाराम पुत्र सरदाराराम
जाति भील निवासी परिहार
सेवा सदन की गली नेहरू,
कालोनी,बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.2016 बमुकदमा संख्या 03/2016 द्वारा तहसीलदार पचपदरा

उपस्थितः–1. श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2. श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 01 की ओर से।
3. श्री गणपत गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.07.2017

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 02 बुधाराम ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार,पचपदरा के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि मौजा जेरला में उसकी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1034/471 रकबा 01 बीघा 03 विस्वा व खसरा नम्बर 1043/472 रकबा 04 विस्वा कुल रकबा 01 बीघा 07 विस्वा भूमि पर अपीलांट्स कांकूदेवी व केसाराम जाति भील साकिन जैरला ने अतिकमण कर कब्जा किया है। इसलिये कब्जा हटाया जाकर, मुझे कब्जा दिलाया जाए। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा ने धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण संख्या 03/16 दर्ज कर, बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2016 द्वारा अपीलांट्स को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये एंव 15/–जुर्माना आरोपित किया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की। अपीलांट्स ने अपील देरी से प्रस्तुत करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया।

जिला कलेक्टर
बाडमेर

2. हमनेअपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विवादित भूमि प्रारम्भ में कांकूदेवी व दायलीदेवी ने शामलाती रूप से दिनांक 13.04.2004 को दो अलग अलग ईकरारनामा के खसरा नम्बर 472/1 मे रकबा 08 विस्वा व खसरा नम्बर 471 में रकबा 02 बीघा 06 विस्वा एंव खसरा नम्बर 470 में रकबा 10 बीघा 06 विस्वा व खसरा नम्बर 469 में रकबा 10 बीघा 08 विस्वा कुल 23 बीघा 08 विस्वा भूमि जरिये पजीबद्ध बेचान के मूल खातेदार मांगीलाल पुत्र मेघाराम भील से खरीद की थी। जिसमें अपीलांट कांकूदेवी एंव दायली देवी का सभी खसरो में 1/2–1/2 हिस्सा होने सें अपीलांट कांकुदेवी का 11 बीघा 14 विस्वा हक हिस्सा था। अपीलांट कांकूदेवी व दायली देवी ने अपना–अपना कब्जा वक्त खरीद दिनांक 13.04.2004 कायम कर दिया था। तत्पश्चात् दायली देवी द्वारा अपना हिस्सा अलग–अलग बेचानों द्वारा बेचान करने एंव आगे के केताओं द्वारा कमोतः बेचान करने पर रेस्पोडेंट बुधाराम ने खसरा नम्बर 1034/471 व 1043/ 472 के जरिये 1 बीघा 07 विस्वा भूमि खरीद की है, जो गलत बंटवाड़े एंव गलत तरमीम से अपीलांट कांकूदेवी के पूर्व से काबिज हक हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में गलत रूप से विवाद खड़ा किया है,जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने जिसे अतिकमण मानकर हटाने का आदेश दिया है,वहॉ अपीलांट का वक्त खरीद से विधि सम्मत काश्त कब्जा है एंव अपीलांट को अपने विधिक कब्जे का संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होने तर्क दिया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपीलांट कांकुदेवी व केसाराम विवादित आराजी के सेढा पड़ोसी है मौके पर सड़क बनने से कुछ जमीन कम हुई है अपीलांट अपने पुराने कब्जे एंव विधिक हक हिस्से अनुसार विवादित आराजी पर काबिज है। अपीलांट ने वक्त खरीद दिनांक 13.04.2004 के बाद विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई बेचान नहीं किया है। आज भी अपीलांट के हिस्से में 11.14 बीघा भूमि आती है एंव दायली देवी ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है एंव उसके बाद में भी अलग–अलग केताओ द्वारा खरीद की गयी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट बुधाराम के कब्जे काश्त की भूमि में यदि कोई कमी या त्रुटि होती है, तो उसका आक्षेप अपीलांट पर लगाकर अपीलांट के वैध कब्जे काश्त से बेदखल किये जाने का आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।उन्होने तर्क दिया कि अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट केसाराम को अप्रार्थी संख्या 02 के रूप में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केसाराम को सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया। ऐसी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्थिति में केसाराम को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करना गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट कांकुदेवी को जारी नोटिस में भी सही पता नहीं लिखा गया है। अपीलांट परिहार सेवा सदन वाली गली नेहरू कालोनी बालोतरा की निवासीनी है। अपीलांट की तलबी हेतु जारी नोटिस मे पता केवल बालोतरा लिखा गया है। बालोतरा एक बड़ा शहर है ऐसी स्थिति में तामिल कुनन्दा ने किस महिला को नोटिस दिया एंव किस मकान पर नोटिस चस्पा किया,पहचान का कोई तथ्य अंकित नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को समुचित रूप से सूचना देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स को कोई नोटिस नहीं मिले और न ही जाति तौर पर तामिल हुए है। तामिल कुनन्दा ने नोटिस सही रूप से नियमानुसार तामिल नहीं करवाया है, बल्कि रेस्पोडेंट से मिली भगत कर उक्त फर्जी कार्यवाही की है। उन्होने तर्क दिया कि पत्रावली में नेखबन्दी की कार्यवाही एक तरफा की गयी है, मौका फर्द में कहीं पर भी यह वर्णित नहीं है कि किसने किसकी भूमि पर कितना अतिक्रमण किया है ऐसी स्थिति में जब अतिक्रमण हेतु कोई स्पष्ट अंकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है तो रेस्पोडेंट के आवेदन को सही मानना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा पारित किया है,जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी। दिनांक 27.12.2016 को जब आरआई बालोतरा ने केवल अपीलांट कांकूदेवी को अतिक्रमी घोषित करने का नोटिस दिया,तब अपीलांट दिनांक 30.12.2016 को आदेश एंव दस्तावेज की प्रमाणित मिलने पर अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मयाद पेश की है। इसलिये अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाए।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि रेस्पोडेंट बुधाराम ने उसकी खातेदारी भूमि मौजा जेरला के खसरा नम्बर 1034/ 471 रकबा 1.03 बीघा व खसरा नम्बर 1043/472 रकबा 0.04 बीघा कुल 01.07 बीघा भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर उन्हे बेदखल कर कब्जा प्राप्ति हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पर उस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना विधि की मांग है। अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्यवाही के दौरान अगर स्वंय प्रार्थी अनुपस्थित रह जाते है तो उसे अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक की भूमि पर काबिज रहने देना लोक नीति के

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

विरूद्ध कार्य करना है। धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक सरसरी जॉच का प्रकरण है। यह कोंई नियमित वाद नहीं है अपीलांट–अप्रार्थीनी का नोटिस दो मौतबिरान के रूबरू चस्पा किया गया है। नोटिस उनके आबाद मकान पर चस्पा है, यह तामिल समुचित है। धारा 183 बी का आदेश अधिकारी का विवेकशील आदेश है। इस बात की संतुष्टि हो जाने. पर कि अनुसूचित जाति के कृषक की खातेदारी जोत पर अतिक्रमण हुआ है,उसे बेदखल कर कब्जा वापिस दिलाने हेतु आदेश पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में जो मौका फर्द तैयार हुई, उसमें अपीलांट अपने रिकार्डेड खातेदारी रकबे से अधिक उरतदाता की खातेदारी भूमि में कब्जा किये हुए पाये गये है। अपीलांट अतिक्रमी है तथा किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट कांकुदेवी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व में हो चुका था। अपीलांट ने काफी देरी से अपील पेश की है, अपील मियाद बाहर है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा ने अपना न्यायोचित निर्णय पारित किया है। इसलिये अपीलांट की अपील अपीलांट्स मय खर्चा खारिज फरमाई जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावे जात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से रेस्पोडेंट बुधाराम ने मौजा जैरला के खसरा नम्बर 1034/471 रकबा 1.03 बीघा व खसरा नम्बर 1043/ब472 रकबा 0.04 बीघा कुल 01.07 बीघा भूमि पर अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेंट बुधाराम द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट कांकुदेवी व केसाराम को अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 183 बी के तहत प्रकरण पेश किया मगर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलांट केसाराम को आवेदन की सूचना/नोटिस व अपना पक्ष रखने बाबत सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। दिनांक 01.8.2016 को प्रकरण दर्ज कर, अपीलांट–अप्राथीनी कांकुदेवी के नाम पेशी तारीख 26.8.2016 का नोटिस जारी किया गया। दिनांक 26.8.2016 की आर्डर शीट में अपीलांट–अप्रार्थीनी का नोटिस आबाद मकान पर चस्पा करना एंव अनुपस्थित होने का उल्लेख किया गया है। जारी नोटिस के अवलोकन से नोटिस पर अपीलांट–अप्रार्थीनी का पूर्ण पता अंकित नहीं है, एंव नोटिस दो मोतबरान के रूबरू चस्पा करना अंकित किया है,चस्पांदगी किस आधार पर की गई है,का कहीं उल्लेख नहीं है और नोटिस तामिल प्रक्रिया के अन्तर्गत बाद चस्पांदगी तहसीलदार पचपदरा द्वारा तस्दीक नहीं है, तहसीलदार पचपदरा द्वारा की गई कार्यवाही

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को समुचित सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे। जिसके अभाव में तहसीलदार पचपदरा द्वारा की गई कार्यवाही विधिवत नहीं कही जा सकती है। अतः न्याय हित में उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया जाना उचित पाया जाता है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन प्रार्थी –रेस्पोडेंट बुधाराम ने मौजा जेरला के 1034/471 व 1043/472 की 1–07 बीघा भूमि पर अपीलांट्स द्वारा किये गये अतिकमण को हटाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ने मौके की पैमाइश हेतु दल गठित करने का कोई आदेश नहीं है। पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2016 में खसरा नम्बर 1034/471 व 1043/472 की 1–07 बीघा भूमि का अतिकमण दर्शाते हुए अतिकमी को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट की भूमि पर कब्जा किया है अथवा नहीं? यदि किया गया है तो कितना और कब? यह तमाम तथ्य सुनिश्चित किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2016 को अपास्त किया जाता है, और मामला तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर,मौके की पैमाइश हेतु दल गठित कर बाद जॉच नियमानुसार उचित आदेश पारित करें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर